सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 175 दर्ज तिथिः–29.07.2024

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 429 / 3 / 0.3804 है0, 429 / 13 / 0.0486 है0 मौजा मिसरी की बेरी पटवार हल्का लुखु तहसील धोरीमन्ना में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में एक अप्रार्थी को छोड़कर समस्त अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र पर बतौर सहमती प्रदान किया जाना अवगत करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। परंतु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस अप्रार्थी ने उक्त रास्ते के मौके पर रास्ता चालू नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 429 / 3 / 0.3804 है0, 429 / 13 / 0.0486 है0 मौजा मिसरी की बेरी पटवार हल्का लुखु तहसील धोरीमन्ना में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सेटेलाईट नक्शे से प्रतीत होता है कि रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:58 IST
Reason: SelfAttested

4. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60,

66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

5. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या 429 / 3 / 0.3804 है0, 429 / 13 / 0.0486 है0 मौजा मिसरी की बेरी पटवार हल्का लुखु तहसील धोरीमन्ना में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा संख्या 429/3/0.3804 है0, 429/13/0.0486 है0 मौजा मिसरी की बेरी पटवार हल्का लुखु तहसील धोरीमन्ना को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.01.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:58 IST
Reason: SelfAttested